



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102023-249573
CG-DL-E-20102023-249573

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4404]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2023/आश्विन 27, 1945

No. 4404]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2023/ASVINA 27, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2023

सं. 38 / 2023

विषय: आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 84 की नीतिगत शर्त संख्या 4 में संशोधन।

का.आ. 4578(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पिछली अधिसूचनाओं 23/2023 दिनांक 03.08.2023 तथा अधिसूचना 26/2023 दिनांक 04.08.2023 का संदर्भ लेते हुए आयात नीतिगत शर्तों में एतद्वारा निम्नलिखित परिवर्तन अधिसूचित किए जाते हैं:

- आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची I के अध्याय 84 की नीतिगत शर्त 4 के तहत अतिरिक्त शर्तें लगाई जाती हैं जो निम्नानुसार हैं:
 - अधिसूचना 23/2023 दिनांक 03.08.2023 के तहत आयात के लिए प्रतिबंधित आईटी हार्डवेयर जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में विनिर्मित होते हैं, उनका लागू शुल्कों (यदि कोई हों) के भुगतान पर आयात प्राधिकार पत्र के बिना घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में आयात किया जा सकता है। आयात

प्राधिकार पत्र से इस छूट का लाभ उठाने के उद्देश्य से एसईजेड के भीतर केवल पुनः पैकिंग, लेबलिंग, रीफर्बिशिंग, टेस्टिंग और कलिब्रेशन जैसे कार्यकलापों को विनिर्माण के रूप में नहीं माना जाता है।

viii. निम्नलिखित को आपूर्ति करने के लिए उपरोक्त आईटी हार्डवेयर का आयात करने वाली निजी संस्थाओं को आयात प्राधिकार पत्र की आवश्यकता से छूट दी गई है:

क. रक्षा या सुरक्षा उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण के तहत एजेंसियाँ, उपक्रम;

ख. सुरक्षा उद्देश्य के लिए राज्य सरकार।

तथापि, आयात करते समय इन निजी संस्थाओं को सीमाशुल्क प्राधिकारियों को संबंधित सरकारी इकाई द्वारा जारी वैध अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाणपत्र देना होगा।

2. आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-I के अध्याय 84 की नीतिगत शर्त 4(iv) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है—

| मौजूदा शर्त | संशोधित शर्त |
|---|---|
| अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग और मूल्यांकन, मरम्मत और पुनः निर्यात, उत्पाद विकास उद्देश्यों के लिए प्रति खेप 20 ऐसी वस्तुओं के लिए आयात लाइसेंस से छूट प्रदान की जाती है। उक्त आयात की अनुमति इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि आयातित वस्तु का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और बेचा नहीं जाएगा। इसके अलावा, इच्छित उद्देश्य के बाद, उत्पादों को या तो उपयोग के बाद नष्ट कर दिया जाएगा या फिर से निर्यात किया जाएगा। | अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग और मूल्यांकन, उत्पाद विकास उद्देश्यों के लिए प्रति खेप 20 वस्तुओं तक आयात प्राधिकार पत्र से छूट प्रदान की जाती है। पहले बेचे गए आईटी हार्डवेयर की मरम्मत और/या वापसी और/या प्रतिस्थापन के लिए आयात के साथ-साथ स्वप्रमाणन आधार पर विदेशों में मरम्मत की गई ऐसी वस्तुओं के पुनः आयात पर भी छूट प्रदान की गई है। |

अधिसूचना का प्रभाव: एसईजेड में निर्मित आईटी हार्डवेयर के डीटीए में आयात को आयात प्राधिकरण से छूट प्राप्त होगी। रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की संस्थाओं की ओर से निजी संस्थाओं द्वारा आयात को आयात प्राधिकार पत्र से छूट प्राप्त होगी।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/39/एम-13/पीसी-2(ए)/ई-2261]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 38 /2023**Subject: Amendment in Policy Condition no. 4 of Chapter 84 of schedule 1 (import policy) of ITC (HS), 2022 -reg.**

S.O. 4578(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, and referring to previous Notifications 23/2023 dated 03.08.2023 & Notification 26/2023 dated 04.08.2023, the following changes in Import Policy Conditions are hereby notified:

1. Additional conditions are introduced under Policy condition 4 of Chapter 84 of Schedule I of ITC (HS), 2022 as follows:

- vii. IT hardware restricted for Import vide Notification 23/2023 dated 03.08.2023 which are manufactured in Special Economic Zones (SEZ) may be imported into Domestic Tariff Area (DTA) without an Import Authorization, on payment of applicable duties (if any). Activities such as re-packing, labelling, refurbishing, testing, and calibration alone within the SEZ are not considered as manufacturing for the purpose of availing this exemption from Import Authorization.
- viii. Private entities importing the said IT Hardware for supply to –
- Central Government or agencies, undertakings owned and controlled by the Central Government, for Defence or Security purposes;
 - State Government for Security purposes;

are exempt from requiring an import authorization. However, these private entities at the time of import, must provide to the Customs Authorities, a valid End User Certificate issued by the relevant government entity.

2. Policy Condition 4(iv) of Chapter 84 of Schedule-I of ITC(HS) 2022 is amended as follows –

| Existing Condition | Revised Condition |
|---|---|
| Exemption from import licence is provided for up to 20 such items per consignment for the purpose of R&D, Testing, Benchmarking and Evaluation, repair and re-export , Product Development purposes. Given imports shall be allowed subject to condition that the imported goods shall be used for the stated purposes only and will not be sold. Further, after the intended purpose, the products would either be destroyed beyond use or re-exported. | Exemption from import authorisation is provided up to 20 items per consignment for R&D, Testing, Benchmarking and Evaluation, Product Development purposes. Exemption is further provided for import for repair and/or return and/or replacement of IT Hardware sold earlier as well as re-import of such items repaired abroad on self-certification basis. |

Effect of the Notification: Import of IT Hardware manufactured in SEZ into DTA shall be exempt from an Import Authorisation. Import by private entities on behalf of Central & State Government Entities, for Defence & Security purposes, shall be exempt from an Import Authorisation.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/39/AM-13/PC-2[A]/E-2261]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade &

Ex- officio Addl. Secy.